PCS मंत्र

पीसीएस/यूपीएससी परीक्षा-उन्मुख समसामयिकी

संपत्ति-घोषणा: दाखिले से आगे जवाबदेही

समाचार-संदर्भ: 2 नवंबर 2026 (सार्वजनिक घोषणाओं की समीक्षा)

प्रकाशन: 3 नवंबर 2026

मुख्य परीक्षा: GS-II/GS-IV: लोक सेवा, पारदर्शिता, जवाबदेही और निजता।

प्रिलिम्स: लोकपाल अधिनियम की धारा 44, संशोधन अधिनियम 37/2016, IPR।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

वरिष्ठ लोक सेवकों की संपत्ति-घोषणाओं की **2 नवंबर 2026** को सामने आई एक सार्वजनिक समीक्षा ने जवाबदेही का महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है: क्या केवल रिटर्न दाखिल होना पर्याप्त है, या उसमें उपयोगी और जाँच योग्य जानकारी भी होनी चाहिए? समीक्षा में 131 वरिष्ठ अधिकारियों में से 102 की उपलब्ध घोषणाएँ देखी गईं। इनमें घोषित 244 स्व-अर्जित अचल संपत्तियों में से 115 के क्षेत्रफल या आयाम और 115 के वर्तमान मूल्य का विवरण नहीं था। ये दो अलग गणनाएँ हैं; इन्हें जोड़कर 230 अलग संपत्तियाँ मानना सही नहीं होगा।

यह **पत्रकारीय समीक्षा का सीमित नमूना** है, सभी लोक सेवकों की सरकारी गणना नहीं। जानकारी का अभाव अपने-आप भ्रष्टाचार या अवैध संपत्ति का प्रमाण भी नहीं है। लेकिन अपूर्ण विवरण सार्वजनिक निगरानी और प्रशासनिक सत्यापन को कठिन जरूर बनाते हैं।

PCSMANTRA.COM

घोषणा, प्रकाशन और सत्यापन

घोषणा अधिकारी द्वारा जानकारी देना है। **प्रकाशन** उस जानकारी को जनता के लिए उपलब्ध करना है। **सत्यापन** दिए गए विवरण को दस्तावेजों और अन्य विश्वसनीय रिकॉर्ड से मिलाना है। तीनों अलग चरण हैं। केवल ऑनलाइन फॉर्म रख देने से यह सिद्ध नहीं

होता कि उसका क्षेत्रफल, स्वामित्व और मूल्य सही तथा पूरा है।

अचल संपत्ति में भूमि और भवन जैसे स्थान से जुड़े साधन आते हैं। **चल संपत्ति** में नकद, बैंक जमा या वाहन जैसे दूसरे साधन हो सकते हैं। अलग नियम अलग दायरे की सूचना माँगते हैं; अचल संपत्ति रिटर्न को हर प्रकार की संपत्ति और देनदारी का पूर्ण विवरण समझना ठीक नहीं है।

दो अलग कानूनी व्यवस्थाएँ

सेवा-आचरण नियमों के तहत रिटर्न: अखिल भारतीय सेवाओं के लिए **अखिल भारतीय सेवाएँ (आचरण) नियम, 1968 का नियम 16** प्रासंगिक है। कार्मिक विभाग का अचल संपत्ति रिटर्न (IPR) प्रभाग IAS अधिकारियों की वार्षिक घोषणाओं के दाखिले, रखरखाव और निगरानी का काम बताता है। विभिन्न सेवाओं के अपने आचरण नियम हैं; IAS का नियम हर सेवा पर उसी नाम से लागू नहीं होता।

लोकपाल कानून के तहत घोषणा: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 लोक सेवकों की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा से संबंधित है। इसकी 2016 में बदली गई व्यवस्था को सेवा-आचरण नियमों के IPR से अलग पढ़ना जरूरी है। एक व्यवस्था के नियम बदलने को सभी सेवा-रिटर्न समाप्त हो जाने के रूप में नहीं समझना चाहिए।

जुलाई का अधिनियम, दिसंबर का ज्ञापन

लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2016, अधिनियम संख्या 37 को राष्ट्रपति की अनुमति **29 जुलाई 2016** को मिली और इसे **30 जुलाई 2016** के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अधिनियम ने स्वयं अपने प्रभाव को **16 जनवरी 2014** से माना। अनुमति की तारीख, राजपत्र की तारीख और मानी गई प्रभावी तारीख अलग हैं।

इस संशोधन ने **धारा 44** का पाठ बदलकर कहा कि प्रत्येक लोक सेवक अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा ऐसे प्रारूप और तरीके से करेगा जैसा नियमों द्वारा निर्धारित किया जाए। **धारा 59(2)(k)** में संबंधित नियम बनाने की शक्ति भी बदली गई।

1 दिसंबर 2016 का DoPT कार्यालय ज्ञापन इस जुलाई वाले अधिनियम की प्रशासनिक व्याख्या करता है। उसमें कहा गया कि पुराने 2014 के घोषणा-नियम और उनके संशोधन अप्रासंगिक हो गए थे तथा नया नियम-समूह तैयार किया जा रहा था। **8 दिसंबर 2016** के अग्रेषण ज्ञापन ने भी 01.12.2016 के ज्ञापन का स्पष्ट उल्लेख किया। इसलिए खबर के संदर्भ में आने वाले दिसंबर को संशोधन अधिनियम की अनुमति-तारीख नहीं मानना चाहिए: जुलाई का अधिनियम और दिसंबर का स्पष्टीकरण अलग दस्तावेज हैं।

समय-संदर्भ की सावधानी: दिसंबर 2016 का ज्ञापन उस समय की स्थिति बताता है। केवल उसी दस्तावेज के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आज तक कोई नया नियम नहीं बना। वर्तमान नियम-स्थिति के दावे के लिए अलग, अद्यतन आधिकारिक जाँच आवश्यक है।

सार्वजनिक समीक्षा क्या बताती है

PCSMANTRA.COM

उपलब्ध 102 अधिकारियों की घोषणाओं की समीक्षा में 244 स्व-अर्जित संपत्तियाँ दर्ज थीं: 219 आवासीय, तीन वाणिज्यिक और 22 कृषि भूखंड। 129 संपत्तियों के वर्तमान मूल्य का कॉलम भरा था; शेष में मूल्य ज्ञात नहीं या मूल्यांकन नहीं होने जैसी प्रविष्टियाँ थीं। समीक्षा ने पैतृक संपत्तियों को इस गणना में शामिल नहीं किया। इसीलिए इन आँकड़ों से अधिकारियों की कुल संपत्ति, कुल संपत्ति-मूल्य या गैरकानूनी अर्जन का निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।

मुख्य कमी तुलनीयता है: कहीं क्षेत्रफल नहीं, कहीं मूल्यांकन की तारीख नहीं और कहीं स्वामित्व का तरीका अस्पष्ट हो तो अलग वर्षों की घोषणाओं को मिलाना कठिन होता है। यह प्रशासनिक डिजाइन और सत्यापन का प्रश्न है; किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने का शॉर्टकट नहीं।

पारदर्शिता और निजता का संतुलन

सार्वजनिक हित: हितों का टकराव, संपत्ति में असामान्य परिवर्तन और दायित्वों की निगरानी के लिए उपयोगी जानकारी जरूरी है। **निजता और सुरक्षा:** संवेदनशील पहचान संख्या या परिवार की अनावश्यक निजी जानकारी का असीमित प्रकाशन उचित नहीं। नीति का लक्ष्य ऐसी न्यूनतम पर्याप्त जानकारी होना चाहिए जिससे जवाबदेही बने, लेकिन अनावश्यक जोखिम न बढ़े।

आगे की राह

- **स्पष्ट प्रारूप:** क्षेत्रफल, स्वामित्व का हिस्सा, अर्जन का तरीका और मूल्यांकन की तारीख स्पष्ट हों। जानकारी उपलब्ध न होने पर कारण और अगला कदम दर्ज हो।
- **जाँच योग्य डेटा:** मशीन-पठनीय रिटर्न और पिछले वर्ष से बदलाव की पहचान प्रशासनिक निगरानी में मदद कर सकती है। सार्वजनिक पोर्टल पर निजता-संबंधी सुरक्षा बनी रहे।
- **जोखिम-आधारित सत्यापन:** अपूर्ण कॉलम या असामान्य बदलाव पर स्पष्टीकरण माँगा जाए। केवल स्वचालित संकेत को दोष का अंतिम प्रमाण न माना जाए।
- **कानूनी स्पष्टता:** सेवा-आचरण नियम, लोकपाल घोषणा और सार्वजनिक प्रकाशन की अलग जिम्मेदारियाँ नागरिकों तथा अधिकारियों को सरल भाषा में समझाई जाएँ।

परीक्षा दृष्टिकोण

मुख्य परीक्षा: GS-II/GS-IV: लोक सेवा में जवाबदेही, पारदर्शिता, हितों का टकराव और निजता का संतुलन।

प्रिलिम्स: धारा 44, धारा 59(2)(k), अधिनियम 37/2016 और सेवा-आचरण नियमों का अलग दायरा।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. "लोक सेवकों की संपत्ति-घोषणा तभी प्रभावी जवाबदेही का साधन बनती है जब उसमें पूरी, तुलनीय और सत्यापन योग्य जानकारी हो।" इस कथन का परीक्षण करते हुए पारदर्शिता तथा निजता के बीच संतुलित सुधार सुझाइए। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। 15 अंक)

PCSMANTRA.COM

भूमिका में

घोषणा, सार्वजनिक प्रकाशन और सत्यापन के तीन अलग चरण स्पष्ट करें।

मुख्य भाग में

IPR और लोकपाल कानून का अलग दायरा बताएँ। अपूर्ण क्षेत्रफल और मूल्य-प्रविष्टियों से तुलना की कठिनाई समझाएँ। स्पष्ट प्रारूप, बदलाव की पहचान, जोखिम-आधारित जाँच और स्पष्टीकरण का अवसर सुझाएँ। निजता-सुरक्षा तथा वैधानिक दायरे का ध्यान रखें।

निष्कर्ष में

दाखिले की संख्या से आगे बढ़कर सूचना की गुणवत्ता और निष्पक्ष सत्यापन को सफलता की कसौटी बनाना चाहिए।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2016 को राष्ट्रपति की अनुमति 29 जुलाई 2016 को मिली।

कथन 2: दिसंबर 2016 का प्रशासनिक ज्ञापन और जुलाई 2016 का संशोधन अधिनियम एक ही दस्तावेज हैं।

कथन 3: सेवा-आचरण नियमों का अचल संपत्ति रिटर्न और लोकपाल कानून की घोषणा का दायरा अलग-अलग जाँचना चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) राजपत्र में अनुमति 29 जुलाई और प्रकाशन 30 जुलाई 2016 दर्ज है। दिसंबर का DoPT ज्ञापन उस अधिनियम की व्याख्या करता है; वह स्वयं संशोधन अधिनियम नहीं है।

प्रश्न 2. संपत्ति-घोषणा में किसी कॉलम की जानकारी अपूर्ण मिलने पर कौन-सा निष्कर्ष सबसे उचित है?

(a) भ्रष्टाचार स्वतः सिद्ध हो गया

(b) अतिरिक्त स्पष्टीकरण और सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है

(c) उस व्यक्ति की सारी संपत्ति अवैध है

(d) सेवा-आचरण नियम लागू नहीं होते

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) अपूर्ण जानकारी जाँच या स्पष्टीकरण का आधार हो सकती है, लेकिन अपने-आप अवैध अर्जन का अंतिम प्रमाण नहीं है।

PCSMANTRA.COM

स्रोत

1. भारत सरकार के MSME विभाग पर उपलब्ध मूल दस्तावेज-संकलन: जुलाई 2016 राजपत्र, 1 दिसंबर तथा 8 दिसंबर 2016 के DoPT ज्ञापन: लिंक
2. India Code: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 का आधिकारिक विधायी रिकॉर्ड: लिंक
3. DoPT: IAS अधिकारियों के अचल संपत्ति रिटर्न प्रभाग का परिचय: लिंक

4. द इंडियन एक्सप्रेस, 2 नवंबर 2026: 102 वरिष्ठ अधिकारियों की उपलब्ध घोषणाओं की समीक्षा और उसके सीमित नमूने के आँकड़े: लिंक

PCSMANTRA.COM